न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 114/2022(2022/377)

1 मोहन पुत्र स्व. श्री रामेश्वर।
2 मीरा पुत्री स्व. श्री रामेश्वर
जाति बैरवा निवासीगण भराई तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. बदाम पत्नी श्री लादूराम बैरवा
2. कैलाशी पत्नी रामदेव भील
3. लाली पत्नी स्व. श्री धीसालाल खारोल
4. चन्दी पत्नी श्री सूरजमल बैरवा
5. मोहनकवर पत्नी श्री श्रवणसिंह राजपूत
6. रुकमणकवर पत्नी श्री श्रवणसिंह राजपूत
तमाम निवासीगण भराई तहसील केकडी जिला अजमेर।
7. चन्द्रा पुत्री लक्ष्मण भील
8. हीरा पुत्र अमरा भील
तमाम निवासी चपराना तहसील मालपुरा जिला टोंक
9. दुर्गादेवी पत्नी श्री रामेश्वर साधु जाति साधु निवासी गोपालपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री कमलेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी संख्या 1 व 3:– श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
पैराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 18.7.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम भराई तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2076(स्थायी) में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
221–184	538 538/1149 539	0.27 0.52 0.62	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 3	कुल रकबा 1.41	

उक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आरजीयात है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज चली आ रही है वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की आराजी है वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 20/141 हिस्सा है प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

संयुक्त कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है प्रार्थीगण की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडे होते है क्योंकि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है साथ ही प्रार्थीगण का अपने हिस्से की आराजीयात पर फसल सुरक्षार्थ तारबन्दी करवानी है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का दावा करना लाजमी आया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसके मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। ताकि आये दिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से विवाद नही करना पडे एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियो मे उलझना नही पडे इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। दिनांक 13.5.2022 को प्रार्थीगण ने इस आशय का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय केकडी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय, ने संबंधित पटवारी हल्का को आराजीयात का नाप चौप करवाने हेतु निर्देशित किया जब प्रार्थीगण ने संबंधित पटवारी हल्का से आराजीयात का नाप चौप कर स्थायी सीमा चिन्ह अंकित करने तथा पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का भराई व अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण पर दबाव बनाते हुए कहा कि पहले तुम आराजीयात का बंटवारा करोगे तब मै आराजीयात की पत्थरगढी करवायेंगे इस प्रकार प्रार्थी पर बंटवारे हेतु जबरन दबाव डाला गया तथा नाप चौप करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण दिनांक 12.6.2022 को आराजीयात में आवश्यक कार्य करने गये तो अप्रार्थी संख्या 1 एवं पडोसियों ने सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव मे हमारे खेत में हंकाई बुवाई भी नही करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजी की स्थाई पत्थरगढी प्रतिवादी की उपस्थिति में तहसीलदार केकडी को पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 स्वयं उपस्थिति होकर कोई आपत्ति नही होना बताया उनके हस्ताक्षर कराये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर पत्थरगढी किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना बताया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि पत्थरगढी किये जाने से राजहित प्रभावित नही होता। शेष अप्रार्थीगण द्वारा अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम भराई तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2076(स्थायी) के खाता संख्या नया पुराना 221–184 के खसरा संख्या 538, 538/1149, 539 के रकबा 0.27, 0.52, 0.62हैक्टर कुल किता 3, कुल रकबा 1.41हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला-अजमेर

(विकास पंचोली)
सहायक अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner